दिनांक 08.06.2016 को सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः—

उपस्थिति : संलग्न सूची के अनुसार

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

तत्पश्चात एजेंडा की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। साथ ही निदेश दिया गया कि प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर किया जाय ताकि समाज के कमजोर वर्गों तक सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके।

एजेण्डावार योजनाओं की समीक्षा की गई एवं निम्नांकित निदेश दिये गयेः—

1. **छात्रवृत्ति योजना**—

(i) **प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना** :– विद्यालय छात्रवृति योजना की जिलों में उपलब्ध राशि का वितरण 15 दिनों के अन्दर कर ली जाय। वर्ग 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं का नामांकन, आधार संख्या एवं खाता संख्या से संबंधित विवरणी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी विभाग को उपलब्ध करायी जाय, विद्यालय छात्रवृत्ति मद में वितरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाये।

(ii) **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** :– वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के छात्रवृत्ति भुगतान के लिए संस्थानों एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन कराकर यथाशीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः— **सभी जिला कल्याण पदाधिकारी**)

2. **आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार** की योजनाओं की समीक्षाः—

(i) विभागीय पत्रांक–3836 दिनांक–28.04.2016 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता (भवन प्रमंडल) के स्तर से संयुक्त रूप से जिला के अन्तर्गत अवस्थित प्रत्येक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन का निर्धारित विस्तृत प्रतिवेदन (Detailed report) तथा अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता पर

संबंधित प्राथमिकता सूची की मांग की गई थी, जिसके आलोक में अबतक **सहरसा, मुंगेर, शेखपुरा, शिवहर, पूर्णियॉ, पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, छपरा, गोपालगंज, सिवान, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय एवं बांका** कुल जिला में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन का निरीक्षण किया गया है कुल 26 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों को इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

(अनुपालनः— सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों की मरम्मति/जीर्णोद्धार, स्वच्छ रसोईघर, अतिरिक्त शौचालय, स्नानागार, चाहरदिवारी, पेयजल की व्यवस्था विद्युत आपूर्ति हेतु वायरिंग के लिए जिलों से प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार किया जाय एवं भवन निर्माण विभाग से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के लिए अनुरोध किया जाय।

(iii) यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन के परिसर उन्नयन हेतु प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पूर्व से पूर्ण भवनों का अधिग्रहण किया जाय।

(अनुपालनः— सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iv) सभी जिला कल्याण पदाधिकारी का निदेश दिया गया कि आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों से संबंधित तस्वीर खींचकर विभाग के इमेल पर भेजा जाय।

(अनुपालनः— जिला कल्याण पदाधिकारी)

3. अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम—2015 को अधिसूचना का0आ0 152(अ) दिनांक 18.01.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है जो दिनांक—26.01.2016 से लागू है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम—2016 को दिनांक—14 अप्रैल, 2016 से लागू है। जिसकी प्रति विभागीय पत्रांक—4297 दिनांक—03.06.16 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी निम्नांकित निदेश अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे:

(i) नियमावली—1995 के नियम—17 के आलोक में "जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति" की तीन माह में कम—से—कम एक बार बैठक निर्धारित रोस्टर के अनुसार की जाय एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाय। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इस वर्ष के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार दुसरी बैठक आयोजित की जाय।

(अनुपालनः— जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) नियमावली–1995 के नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम के आलोक में दिए राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए जिला स्तर पर एक Awarness Programme का आयोजन किया गया जिसमें पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, सहरसा, पूर्णियॉ, कटिहार, मुंगेर, शेखपुरा एवं खगड़िया में आयोजित किया जा चुका है शेष जिलो को निदेश दिया गया है कि वे अपने यहॉ इस प्रोग्राम को जल्द पूरा करा लें।

(अनुपालनः– जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iii) अत्याचार राहत अनुदान में व्यय की गई राशि एवं लाभुकों की संख्या जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गत माह में अत्याचार राहत अनुदान में 1422.64 लाख व्यय कर 3313 लाभुकों को लाभ दी गई थी। जबकि इस माह तक 1491.81 लाख व्यय कर 3548 लाभुकों को राहत अनुदान की राशि दी गई है। जिसमें 235 लाभुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(अनुपालनः– जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iv) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2014 के नियम–12(4) के आलोक में अत्याचार के पीड़ितों को त्वरित गति से राहत राशि एवं पुनर्वास की सुविधाऍ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही हत्या के मामले में आश्रित/पीड़ित को नियमानुसार पेंशन देने की कार्रवाई ससमय की जाए। पेंशन के लाभुकों की सूची तैयार कर उपलब्ध करायी जाय।

साथ ही इस वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन उपलब्ध करा दी गई है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस माह तक 275 लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। 4500/– प्रति माह के दर से पेंशन दी जाती है।

(v) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली 2014 के नियम–17 के आलोक में अनुमंडल स्तर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की सूचना निम्न जिलों से प्राप्त हुईः– **नालंदा, बक्सर, नवादा, शिवहर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, कटिहार** एवं **जमुई, अरवल, शेखपुरा** से गठन की सूचना प्राप्त है। शेष जिलों को निदेश दिया गया कि जून माह में हर हाल में बैठक कर लिया जाय।

(अनुपालनः– जिला कल्याण पदाधिकारी)

(vi) विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा **जहानाबाद, अरवल,** नवादा, औरंगाबाद, **शिवहर, सहरसा, मुंगेर, जमुई एवं कटिहार** में की गई है। शेष जिला कल्याण पदाधिकारी भी समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेगें ।

(अनुपालनः– जिला कल्याण पदाधिकारी)

4. विद्यालय/छात्रावासों में सामग्री आपूर्तिः--

सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विभागीय पत्रांक--4323 दिनांक--07.06.16 के आलोक में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी आवासीय विद्यालयों में आवश्यक सामग्रियों का क्रय उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के अनुशंसा के आलोक में किया जाए ।

(अनुपालनः-- जिला कल्याण पदाधिकारी)

5. सेवांत लाभः--

राज्यस्तरीय बैठक में सेवान्त लाभ की समीक्षा के क्रम में कुल 29 मामले लम्बित पाये गये। इन लम्बित मामलों में से 4 मामलें न्यायालय से संबंधित रहने के कारण लम्बित एवं सामान्य भविष्य निधि की कटौती विवरणी अप्राप्त रहने के कारण कुल 16 मामले लम्बित पाये गये हैं तथा 3 मामले कागजात अधूरा रहने के कारण लम्बित है, यथा मुख्यालय, मुंगेर एवं सहरसा जिला। जिला कल्याण पदा0, बैशाली एवं अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लम्बित भविष्य निधि कटौती विवरणी विशेष दूत के माध्यम से प्राप्त कर शीध्र सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ पहुँचाया जाय। साथ ही दो वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कमियों/पदाधिकारियों की सूची एवं सेवान्त लाभ की पूर्व तैयारी से संबंधित प्रतिवेदन 30 जून तक भेजना सुनिश्चित करेगें ।

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सेवानिवृत्त कर्मियों के भविष्य निधि लेखा संख्या की मांग की गई ताकि उस लेखा संख्या की एक प्रति वित्त विभाग में सम्पन्न होने वाली सेवान्त लाभ की बैठक में हस्तगत कराया जा सके। शेष बचे हुए सेवांत लाभ का जल्द से जल्द भुगतान करने निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

6. ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रः--

सर्वप्रथम सबसे अधिक सात जिलों में लम्बित ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण--पत्र की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिया गया कि ए0सी0 के रूप में लम्बित राशि का डी0 सी0 विपत्र तैयार कर अविलम्ब समायोजन की कार्रवाई कर दिनांक--15.06.2016 के पूर्व विभाग को सूचित किया जाय। इसी प्रकार पिछले महीने तक जिलों में लम्बित 32.44 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण--पत्र अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष--2012--13 में स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि 446.35 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण--पत्र भी सभी आवश्यक कागजात के साथ विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया कि इससे संबंधित बकाया राशि की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय।

विभागीय पत्रांक—1466 दिनांक—25.05.2016 एवं 1479 दिनांक 26.05.2016 द्वारा क्रमशः महालेखाकार, बिहार का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग का लंबित अंकक्षण प्रतिवेदन की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की सूचना देते हुए बैठक में उपस्थित सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने—अपने जिला में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन सभी संगत अभिलेख एवं उच्चाधिकारी के मंतव्य के साथ वरीय लेख परीक्षा अधिकारी स0प0 II महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय बिहार, पटना एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः— जिला कल्याण पदाधिकारी)

7. बिहार महादलित विकास मिशनः—

बिहार महादलित विकास मिशन के योजनाओं की समीक्षा से संबंधित मुख्य बिन्दु निम्न हैः—

(i) **सामुदायिक भवन—सह —वर्कशेड योजनाः—** इस योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को प्रस्तुत किया गया। न्यूनतम उपलब्धि वाले पाँच जिलों से कारण पृच्छा की गई। जमीन की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी को अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सामुदायिक भवन—सह— वर्कशेड हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गयां जिन जिलों में विवादित जमीन होने की वजह से विलम्ब हो रहा है, वहाँ इस संबंध में जिला परियोजना पदाधिकारी—सह— जिला कल्याण पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर विवाद निपटाने हेतु सख्त हिदायत दिया गया। बाँका के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवंटित राशि की दूसरी किस्त अप्राप्त है। इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश मिशन को दिया गया।

(ii) AC/DC Bill:- जिला से अप्राप्त AC/DC Bill की समीक्षा के उपरांत निदेश दिया गया कि सभी जिलों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित AC/DC विपत्र मिशन को अविलम्ब भेजा जाय ताकि इसका समायोजन हो सके।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त की गई।

ह0 / —
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–5 / निदे0(छात्रावास) बैठक–05–02 / 2015-4459 पटना, दिनांक– 22-6-16

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, / विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना / उप निदेशक कल्याण(मु0) / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, बिहार / सभी सहायक निदेशक (मु0 / क0) / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2–आईटी मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं इमेल से सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजने हेतु प्रेषित।

22/6

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–5 / निदे0(छात्रावास) बैठक–05–02 / 2015,4459 पटना, दिनांक– 22-6-16

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

22/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–5 / निदे0(छात्रावास) बैठक–05–02 / 2015, 4459 पटना, दिनांक– 22-6-16

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

22/6/16

उप निदेशक(मु0)।